

(01)

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

Rcms

2019/00014

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
पुनाबीग खेड़ा

बनाम

गनसिंह, बाबुसिंह, पि. रामसिंह कौश
बाबूदत्त मिश्रा जीजाजी का घेरा (भारत)

मु. न. 01 सन 2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/2019	<p>पटवारी हल्का <u>पुनाबीग खेड़ा</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>गोशाजी का घेरा</u> के खसरा संख्या <u>755</u> रकबा <u>0.02 बीघर</u> किस्म भूमि <u>ग.भू. रास्ता</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>15/5/2019</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
15.5.19	<p>पत्रावली प्राप्त प्रस्तुत है। गैर लायलके उपस्थित हेतु तीन कर त्याग ले क्षीकृत लगानार्थ गये। गैर सायल अनुपस्थित। जवाब हेतु अक्षर दिया जाकर आयदा पत्रावली दिनांक 29/5/19 के प्रस्तुत है।</p>	

तहसीलदार/सिणधरी
तहसीलदार/सिणधरी
जिला - बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी

29/5/19

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई। गैर साधल
अनुपस्थित। गैर साधल को जवाब
दिए साधल दिनांक जाकर पत्रावली/आईडी
दिनांक 12/6/2019 को प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी

12/6/2019

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई। गैर साधल अनुपस्थित
गैर साधल को तीन बार न्यायालय द्वारा आवण
लगाने के बवणुद अनुपस्थित। गैर साधल
द्वारा किली प्रकार का जवाब भी प्रस्तुत
नही किया गया है। गैर साधल को प्रतिवृत्ती
मानते हुए, उनके रिशे लाफ एक तरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाकर पत्रावली निर्गित है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। पत्रावली फेसल सुमार
होकर नंबर से कम होकर इरिक्ल
इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा पत्रिका स. 4 के
पृष्ठ सं. 4 पर क्र.सं. पर जुर्माना/फायल
जमा राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।

19.06.19
तहसीलदार सिणधरी